न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 616/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. बलवन्त पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. भादरराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 08/04/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 174/71 के प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 13 की 0.2530 हैक्ट, 14 की 0.2530 हैक्ट, 15/1 की 0. 0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 15/2 की 0.2280 हैक्ट, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/2 की 0.2280 हैक्ट, 17 व 18 की 0.506 हैक्ट, किला न0 23 व 24 की 0.5060 हैक्ट, 25/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 25/2 की 0.2280 हैक्ट, प0न0 298/385 मु0न0 49 के किला न0 19 की 0.2530 हैक्ट, 20 ता 22 की 0.7590 हैक्ट कुल 3.2890 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त कृषि भूमि में प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्ट भूमि में सिंचाई विभाग भाखड़ा विभाग द्वारा गै0मु0 खाला दर्ज कर कर रखा है लेकिन अब नहर का पक्का निर्माण होने के बाद में सिएडी सिंचाई द्वारा इन किलों में से खाला निरस्त कर दुसरी जगह पर खाला स्वीकृत कर पक्के खाले का निर्माण हो चुका है। इसलिए अब मु0न0 50 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला किला न0 25/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला नही है इन किलों की कृषि भूमि वादीगण ही काश्त करते है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण अपनी अराजी का सही उपभोग नही कर पा रहे है इसलिए रिकार्ड में गै0मु0 खाला दुरूस्त करवाकर उक्त वाद भूमि को वादी आपने नाम कराने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 अधिशांषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल किये गये।।

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 4 आरपीएम सम्वत् 2071–2074 खाता स0 174/71 नकल आवंटन पत्रावली आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल किये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 174/71 के भूमि में प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्ट भूमि में सिंचाई विभाग भाखड़ा विभाग द्वारा गै0मु0 खाला दर्ज कर कर रखा है लेकिन अब नहर का पक्का निर्माण होने के बाद में सीएडी सिंचाई द्वारा इन किलों में से खाला निरस्त कर दुसरी जगह पर खाला स्वीकृत कर पक्के खाले का निर्माण हो चुका है वादी के पूर्वजों को रोही मौजा चक 4 आरपीएम के मु0न0 50 के किला न0 15 16 ,25 प्रत्येक की 0.253हैक भूमि आवंटन की गई थी आवंटन पत्रावली से साबित है सीएडी विभाग के द्वारा खाला पस्तावित होने पर वादी की भूमि में खाला दर्ज किया जाकर वादी की भूमि का गै0मु0 खाला के रूप में दर्ज की गई थी अब सीएडी विभाग द्वारा खाला निरस्त कर दिया है इसलिए अब मु0न0 50 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला किला न0 25/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की जगह प0न0 297/358 मु0न0 50 के किला न0 15 की 0.253 हैक्ट, 16 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 4 आरपीएम तहसील नोहर के खाता स0 174/71 के भूमि में प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15, 16, 25 की 0.7590 हैक्ट भूमि में सिंचाई विभाग भाखड़ा विभाग द्वारा गै0मु0 खाला दर्ज कर कर रखा है लेकिन अब नहर का पक्का निर्माण होने के बाद में सिएडी सिंचाई द्वारा इन किलों में से खाला निरस्त कर दुसरी जगह पर खाला स्वीकृत कर पक्के खाले का निर्माण हो चुका है। इसलिए अब मु0न0 50 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला किला न0 25/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला को मुमकिन किया जाकर प0न0 297/358 मु0न0 50 के किला न0 15 की 0.253 हैक्ट, 16 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0. 2530 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जल संसाधन विभाग नोहर से खाला के संबंध में रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि प0न0 297/385 किला न0 15, 16 व 25 मे कोई खाला नही बना है एवं स्वीकृत चक प्लान में भी उक्त किला न0 में कोई खाला स्वीकृत नही है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि वर्तमान प0न0 297/385 किला न0 15, 16 व 25 मे कोई खाला नही बना है परन्तु उक्त किलो की वाद भूमि [illegible] है। गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

प्रस्तुत आंवटन पत्रावली के अवलोकन से पाया की वादी के पूर्वजों को रोही मौजा चक 4 आरपीएम के मु0न0 50 के किला न0 15 ,16 ,25 प्रत्येक में 0.253हैक्ट भूमि आवंटन की गई थी सीएडी विभाग के द्वारा चक स्कीम के अन्तर्गत खाला प्रस्तावित होने पर वादी की भूमि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के मु0न0 50 के किला न0 15,16 ,25 में से 0.0250हैक्ट भूमि को गै0मु0 खाला के रूप में दर्ज किया गया था वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार मौका पर खाला का निर्माण नही है ना ही मौका पर कोई खाला नही है जब सिचाई विभाग के द्वारा खाला निरस्त किया जा चुका है इसलिये वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिये कम की गई भूमि को पूनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 174/71 के प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, किला न0 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, किला न0 25/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.075हैक्ट (छ बिश्वा) भूमि को निरस्त किया जाकर रोही मौजा चक 4 आरपीएम की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 174/71 कें प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15 की 0.2530 हैक्ट, 16 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार धोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्ढव रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जावे । यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..08/4/24.. को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:14 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 616/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. बलवन्त पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. भादरराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 616 सन 2023 निर्णय दिनांक 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 174/71 के प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, किला न0 16/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, किला न0 25/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.0750हैक (छ बिश्वा) गै0मु0 खाला को निरस्त किया जाकर रोही मौजा चक 4 आरपीएम की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 174/71 कें प0न0 297/385 मु0न0 50 के किला न0 15 की 0. 2530 हैक्ट, 16 की 0.2530 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार धोषित की जाती है इसी अनुसार राजस्ढव रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जावे । यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:14 IST
Reason: SelfAttested